रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा बहुधा पूछे जाने वाले प्रष्न

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	प्ररूप–1 में लोकसूचना कौन सी भाषा में प्रकाषित की जाती है?	अंग्रेजी एवं शासकीय भाषा में लोकसूचना प्रकाषित की जाती है।
2.	राजकीय कार्यालयों के लिये घोषित सार्वजनिक अवकाष में क्या नामांकन पत्र लिये जा सकते है?	यदि राजकीय कार्यालयों के लिये सरकार द्वारा किसी दिवस को अवकाष घोषित किया हुआ है लेकिन निगोषियेबिल इन्सट्रमैन्ट एक्ट के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाष घोषित नहीं हुआ है तो उस दिन नामांकन पत्र लिये जायेंगें। निगोषियेबिल इन्सट्रमैन्ट एक्ट के अन्तर्गत घोषित सार्वजनिक अवकाष के दिन नामांकन पत्रों की संवीक्षा का कार्य भी नहीं किया जा सकता एवं अभ्यर्थिता वापिसी का प्रार्थनापत्र भी नहीं लिया जा सकता।
3.	एक व्यक्ति नामनिर्देषन पत्र प्रस्तुत करनें के अन्तिम दिवस को 3.00 बजे अपरान्ह में नामनिर्देषन हॉल में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामनिर्देषन पत्र अपूर्ण होने के बावजूद भी प्रस्तुत करना चाहता है तो क्या रिटर्निंग अधिकारी को वह उससे लेना चाहिये?	रिटर्निंग अधिकारी को अपूर्ण नामनिर्देषन पत्र भी लेना चाहिये। नामनिर्देषन पत्र के साथ आवष्यक दस्तावेज यथा प्ररूप–क तथा प्ररूप–ख, निक्षेप राषि जमा करानें का प्रमाण एवं शपथ पत्र आदि भी प्रस्तुत होने चाहिये। यदि ये दस्तावेज नामनिर्देषन पत्रों को प्रस्तुत करने के समय प्रस्तुत नहीं किये गये है तो इसका उल्लेख चैक लिस्ट (निर्वाचन आयोग के दिनांक 30.09.2013 के निर्देशानुसार), जिसकी एक प्रति अभ्यर्थी को दी जायेगी, में करना आवश्यक है।
4.	नामनिर्देषन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् अभ्यर्थी यदि प्ररूप –26 में शपथ पत्र नामनिर्देषन की अन्तिम तिथि को 3.00 बजे अपरान्ह तक भी प्रस्तुत नहीं करता है और संवीक्षा के दौरान रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करता है तो क्या वह मान्य होगा?	नहीं। शपथ पत्र नामनिर्देषन के साथ यदि प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे नामनिर्देषन पत्र प्रस्तुत करनें की अन्तिम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह तक प्रस्तुत किया जाना आवष्यक है।
5.	यदि रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्ररूप –26 में शपथ पत्र अधूरा भरा हो तो उस पर क्या कार्यवाही करनी उचित है?	यदि निर्धारित समय के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में कोई कॉलम रिक्त रह गया हो तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को सभी कॉलमों के पूर्ण इन्द्राज के साथ नया शपथ पत्र नामनिर्देषन पत्रों की संवीक्षा के दिन भी संवीक्षा प्रारम्भ करनें से पूर्व तक प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये नोटिस देगा और रिटर्निंग अधिकारी ऐसी स्थिति में संवीक्षा के दिन संवीक्षा से पूर्व नया शपथ पत्र अभ्यर्थी से प्राप्त कर सकेगा।
6.	हस्ताक्षरों की जांच हेतु क्या अभ्यर्थी एवं उसके प्रस्तावको को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना आवष्यक है?	यह विधिक आवष्यकता नहीं है कि अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करें अथवा रिटर्निंग अधिकारी उन सभी

		के हस्ताक्षरों की जांच करें। यदि रिटर्निंग अधिकारी को किसी षिकायत के आधार पर या स्वविवेक से यह आभास होता है कि इनमें से कोई हस्ताक्षर फर्जी है तो वह आवष्यक जांच कर सकता है।
7.	अषिक्षित अभ्यर्थी अथवा अषिक्षित प्रस्तावक द्वारा नामनिर्देषन पत्र पर अँगूठा निषानी की गयी है तो रिटर्निंग अधिकारी को क्या करना चाहिये?	अँगूठा निषानी को हस्ताक्षर के रूप में केवल उसी स्थिति में माना जा सकता है जबकि वह रिटर्निंग अधिकारी अथवा उपखण्ड अधिकारी से अन्यून किसी प्रषासनिक अधिकारी के समक्ष लगायी गयी एवं सत्यापित की गयी हो। अषिक्षित प्रस्तावकों की संख्या 4 से अधिक होने पर रिटर्निंग अधिकारी अलग–अलग बैचों में अपने कक्ष में बुलाकर अँगूठा निषानी अपने समक्ष लगवाकर सत्यापित कर सकता है।
8.	एक राजनीतिक दल जो दूसरे राज्य में मान्यता प्राप्त है लेकिन चुनाव वाले राज्य में मान्यता प्राप्त नहीं है तथा उसके अभ्यर्थी को आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित किये जाने की छूट आयोग द्वारा दी गयी है तो उसके अभ्यर्थी के लिये कितने प्रस्तावक होने चाहिये?	इस प्रकार के अभ्यर्थी के लिये दस प्रस्तावक आवष्यक है भले ही निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई छूट के अन्तर्गत उसे आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा सकता हो।
9.	क्या एक प्रस्तावक एक से अधिक अभ्यर्थियों के नामनिर्देषन पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकता है?	हाँ। एक व्यक्ति एक अभ्यर्थी के एक से अधिक नामनिर्देषन पत्रों में अथवा एक से अधिक अभ्यर्थियों के नामनिर्देषन पत्रों पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर कर सकता है।
10.	प्रस्तावक यदि रिटर्निंग अधिकारी को यह सूचित करता है कि उसने अभ्यर्थी के पक्ष में किया गया प्रस्ताव वापिस ले लिया है तो रिटर्निंग अधिकारी क्या कार्यवाही करेगा?	प्रस्तावक द्वारा की गयी ऐसी मांग से अभ्यर्थी के नामनिर्देषन पत्र की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
11.	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र में किसी सूचना का आक्षेप करते हुये कोई अन्य व्यक्ति काउण्टर शपथ पत्र प्रस्तुत करता है तो रिटर्निंग अधिकारी को क्या करना चाहिये?	काउण्टर शपथ पत्र को भी सभी उन स्थानों पर उसी तरीके से प्रदर्षित किया जायेगा जहां–जहां और जिस तरीके से अभ्यर्थी के शपथ पत्र को प्रदर्षित किया गया है।
12.	नामनिर्देषन से पूर्व अभ्यर्थी क्या शपथ ले सकता है और नामनिर्देषन के पश्चात् कब तक शपथ ले सकता है?	नामनिर्देषन से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा शपथ नहीं ली जा सकती। शपथ नामनिर्देषन प्रस्तुत करनें के बाद उसी दिन ली जा सकती है और संवीक्षा के दिन से पहले दिन तक ली जा सकती है अर्थात् जो दिन संवीक्षा के लिये नियत है उसके पहली रात्रि को 12.00 बजे तक शपथ ली जा सकती है। संवीक्षा के दिन शपथ नहीं ली जा सकती।
13.	एक अभ्यर्थी द्वारा शपथ लिये जाने का प्रमाण रिटर्निंग अधिकारी को कब तक प्रस्तुत किया जा सकता है?	शपथ लेने का प्रमाण पत्र रिटर्निंग अधिकारी को संवीक्षा के दौरान भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
14.	कोई व्यक्ति कितने निर्वाचन क्षेत्रों से	अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों में नामनिर्देषन पत्र

	चुनाव लड़ने के लिये नामनिर्देषन पत्र प्रस्तुत कर सकता है?	प्रस्तुत कर सकता है।
15.	यदि किसी प्रस्तावक के द्वारा इस आषय की लिखित षिकायत शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की जाती है कि नामनिर्देषन पत्र पर किये गये हस्ताक्षर उसके नहीं है और फर्जी हैं तो रिटर्निंग अधिकारी को क्या कार्यवाही करनी चाहिये?	रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तावक के हस्ताक्षरों की वैधता की संक्षिप्त जांच करनी चाहिये और अभ्यर्थी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिये। यदि जांच में यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रस्तावक के हस्ताक्षर फर्जी है तो नामनिर्देषन पत्र अपर्याप्त प्रस्तावकों की संख्या के कारण अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि हस्ताक्षर फर्जी नहीं पाये जाते है तो अन्य पात्रताऐं पूरी होने की स्थिति में नामनिर्देषन पत्र स्वीकार किया जायेगा। फर्जी हस्ताक्षरो के मामले में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध मानते हुये अपराधिक प्रकरण दर्ज कराकर पृथक से कार्यवाही भी की जायेगी।
16.	क्या मीडिया को रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन प्रक्रिया को कवर करनें की अनुमति दी जा सकती है?	दी जा सकती है। रिटर्निंग अधिकारी को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि ऐसी अनुमति के कारण नामांकन प्रक्रिया बाधित नहीं हो। अनुमति देते समय स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिये।
17.	अभ्यर्थी ने अपने नामनिर्देषन पत्रों में स्वयं को किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया घोषित नही किया है लेकिन नामनिर्देषन की अन्तिम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह से पूर्व राजनीतिक दल द्वारा उसे अपना अभ्यर्थी दर्शाते हुये प्ररूप–क एवं प्ररूप–ख प्रस्तुत किया जाता है तो क्या उस अभ्यर्थी को राजनीतिक दल का अभ्यर्थी माना जायेगा?	नहीं। अभ्यर्थी द्वारा यदि किसी भी नामनिर्देषन पत्र में यह घोषणा नहीं की गयी है कि उसे अमुक राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है तो उसे राजनीतिक दल का अभ्यर्थी नहीं माना जा सकता।
18.	अभ्यर्थी नामनिर्देषन पत्र प्रस्तुत करनें के लिये रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय तक क्या जुलूस के साथ जा सकता है?	नहीं। रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय की 100मी. की परिधि के भीतर एक अभ्यर्थी के अधिकतम तीन वाहन और अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच समर्थक/कार्यकर्त्ता आ सकते है।
19.	एक अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है जिसे प्ररूप–क एवं प्ररूप–ख जारी कर दिया गया है। किन्तु इसके बाद नामांकनों के अन्तिम दिन 3.00 बजे अपरान्ह से पूर्व एक अन्य अभ्यर्थी उसी राजनीतिक दल द्वारा जारी अपने पक्ष में प्ररूप–क एवं प्ररूप–ख रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर देता है तो कौन–सा अभ्यर्थी उस दल का अभ्यर्थी माना जायेगा?	यदि राजनीतिक दल अपने अभ्यर्थी को बदलता है तो उसे प्ररूप–ख में पैरा 2 में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि पूर्व के अमुक नाम के अभ्यर्थी के स्थान पर अब अमुक नाम के अभ्यर्थी को दल का अभ्यर्थी बनाया गया है। यदि ऐसा उल्लेख प्ररूप–ख के पैरा 2 में किया जाता है तो इसे मान लिया जायेगा। लेकिन यदि प्ररूप–ख में उपरोक्त आषय का उल्लेख नहीं है तो उस अभ्यर्थी, जिसनें नामनिर्देषन पत्र पहले प्रस्तुत किया हैं, को दल का अभ्यर्थी माना जायेगा।
20.	मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के लिये कितने प्रस्तावक होने चाहिये ?	राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल एवं राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी को केवल एक प्रस्तावक आवष्यक है। अन्य

		राजनीतिक दलों के लिए दस प्रस्तावक आवष्यक हैं।
21.	यदि कोई अभ्यर्थी अपने शपथ पत्र में किसी अपराध में अपनी दोषसिद्धि की सूचना छुपाता है लेकिन दस्तावेजी प्रमाण के साथ संवीक्षा के दौरान अभ्यर्थी के विरूद्ध षिकायत प्राप्त होती है तो रिटर्निंग अधिकारी को क्या करना चाहिये?	शपथ पत्र में दी गयी किसी असत्य सूचना या कोई सूचना छुपाये जाने के आधार पर नामनिर्देषन पत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
22.	यदि एक व्यक्ति इस राज्य का मतदाता नहीं हैं और दूसरे राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत है तो क्या वह राज्य विधानसभा के चुनाव अभ्यथी हो सकता है?	नहीं। राज्य विधानसभा चुनाव के लिये अभ्यर्थी को उस राज्य, जहां चुनाव हो रहा है, के किसी भी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना आवष्यक है।
23.	अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु की गणना कैसे की जायें?	चुनाव लड़ने के लिये अर्हता एवं निरर्हता का निर्धारण नामनिर्देषन पत्रों की संवीक्षा के लिये निर्धारित तिथि को ब्नज.वि.किंजम मानते हुये किया जाता है। अतः संवीक्षा के दिन नियत तिथि को अभ्यर्थी को 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना आवष्यक है।
24.	अपूर्ण नामनिर्देषन प्रस्तुत किये जाते समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी का ध्यान आकर्षित किये जाने के बाद भी अभ्यर्थी यदि पश्चातवर्ती नामनिर्देषन पत्रों को भी अपूर्ण ही प्रस्तुत करता है तो क्या नामनिर्देषन पत्रों को बाद में पूर्ण किये जाने की अनुमति दी जा सकती हैं?	नहीं। नामनिर्देषन एक बार प्रस्तुत करनें के बाद उसमें संषोधन करनें की अनुमति नहीं दी जा सकती । एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नामनिर्देषन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। जो नामनिर्देषन पत्र अपूर्ण है और उसमें सारभूत कमी हैं तो उसे अस्वीकार किया जायेगा, लेकिन यदि कोई तकनीकी त्रुटि ही हो तो उसे नजर अन्दाज किया जायेगा।
25.	अभ्यर्थी ने यदि प्ररूप 26 में शपथ पत्र निर्धारित समय तक प्रस्तुत नहीं किया है तो क्या उसका नामनिर्देषन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा?	हॉ। यदि निर्धारित समय तक शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो नामनिर्देषन पत्र अस्वीकार किया जायेगा।
26.	अभ्यर्थी ने यदि प्ररूप 26 में शपथ पत्र अपूर्ण प्रस्तुत किया है और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने के बावजूद भी पूर्ण प्रविष्टियों के साथ नया शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तो क्या उसका नामनिर्देषन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा?	हाँ। इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.09.2013 के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देष दिनांक 30.09.2013 का अवलोकन भी किया जावें।
27.	प्ररूप–26 में शपथ पत्र क्या नामांकनो की संवीक्षा के दिन भी प्रस्तुत किया जा सकता है?	नामनिर्देषन पत्रों को प्रस्तुत करनें की अन्तिम तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे तक ही प्ररूप 26 में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन शपथ पत्र में कॉलमों की पूर्ति नहीं करनें पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस/स्मरण पत्र के बाद अभ्यर्थी नया शपथ पत्र नामनिर्देषन पत्रों की संवीक्षा के समय भी प्रस्तुत कर सकता

		है।
28.	किसी अभ्यर्थी का नाम दो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में या एक विधानसभा में एक से अधिक स्थान पर दर्ज हैं तो क्या अभ्यर्थी की पात्रता पर कोई प्रभाव पड़ेगा?	नहीं। यदि अभ्यर्थी नें गलत सूचना/घोषणा करते हुये एक से अधिक स्थानों पर नाम पंजीकृत कराया है तो उसके विरूद्ध लो.प्र.अधिनियम, 1950 की धारा–31 के तहत् कार्यवाही पृथक से की जायेगी किन्तु चुनाव लड़नें की पात्रता में इससे प्रभाव नहीं पड़ेंगा।
29.	नामनिर्देषन पत्रों की संवीक्षा के समय कौन–कौन व्यक्ति उपस्थित रह सकते है?	स्वयं अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता, अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक तथा एक और अन्य व्यक्ति जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित में अधिकृत किया हुआ हो (कुल चार) उपस्थित रह सकते हैं।
30.	स्मरण कराये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लिये पृथक बैंक खाता नहीं खुलवाया गया है तो क्या अभ्यर्थी का नामनिर्देषन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है?	नहीं। निर्वाचन व्यय के लिये अभ्यर्थी द्वारा पृथक बैंक खाता यदि नहीं खुलवाया जाता है, या पृथक बैंक खाते की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को नामनिर्देषन पत्र प्रस्तुत करनें के दौरान नहीं दी जाती है और रिटर्निंग अधिकारी के स्मरण कराये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो इससे अभ्यर्थी की चुनाव लड़नें की पात्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
31.	क्या अन्य राज्य के शासन द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण पत्र इस राज्य के चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी के मामले में मान्य होगा?	विधानसभा चुनाव में चुनाव वाले राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य ही आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिये पात्र हैं।
32.	एक व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित करते हुये दो वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुये उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा हुआ है तो क्या वह व्यक्ति चुनाव लड़नें की पात्रता रखता है अथवा नहीं?	नहीं।
33.	नामांकन प्रक्रिया एवं नामांकनों की जांच के समय क्या वीडियोंग्राफी करायी जानी चाहिये?	हाँ। प्रत्येक नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी जावें। नामांकन के अन्तिम दिन को दोपहर 2.00 बजे से लगातार वीडियोग्राफी होनी चाहिये। नामांकनों की संवीक्षा के समय भी पूर्ण वीडियोग्राफी आवष्यक है। वीडियोग्राफी का पूरा रिकॉर्ड बिना एडिट किये हुये सुरक्षित रखा जायेगा।
34.	विधानसभा चुनाव में अभ्यर्थी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हैं और रिटर्निंग अधिकारी के पास उस निर्वाचन क्षेत्र की अधिकृत निर्वाचक नामावली भी उपलब्ध हैं, लेकिन अभ्यर्थी अपने निर्वाचक होने के प्रमाणस्वरूप उस निर्वाचन क्षेत्र में सुसंगत प्रविष्टियों की उद्धृत प्रति/संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत नहीं	नहीं। इस प्रकार की परिस्थिति में अभ्यर्थी को प्रमाणित प्रति रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी, भले ही रिटर्निंग अधिकारी के पास उस निर्वाचन क्षेत्र की अधिकृत निर्वाचन नामावली उपलब्ध हो।

	करता है तो क्या नामांकन मान्य होगा अथवा नहीं?	
35.	मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा जारी प्ररूप–ख में बताये गये मुख्य अभ्यर्थी का नामनिर्देषन पत्र स्वीकार हो जाता है तो स्थानापन्न ै(नइेजपजनजम) अभ्यर्थी का नामांकन निरस्त होगा अथवा नहीं?	यदि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अथवा राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी का नामांकन संवीक्षा के दौरान सही पाया जाता है तो उस दल के स्थानापन्न अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का अभ्यर्थी नहीं माना जायेगा और ऐसी स्थिति में स्थानापन्न अभ्यर्थी को निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में मानकर उसके नामांकन की संवीक्षा की जायेगी। यदि स्थानापन्न अभ्यर्थी का केवल एक प्रस्तावक है तो नामांकन अस्वीकार किया जायेगा और यदि स्थानापन्न अभ्यर्थी नें अपने नामांकन पत्र के दूसरे भाग की पूर्ति करते हुये दस प्रस्तावकों के विवरण व हस्ताक्षरों के साथ नामांकन प्रस्तुत किया है तो अन्य अपेक्षाएं पूर्ण करनें की स्थिति में, उसका नामांकन निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा। यदि मुख्य अभ्यर्थी का नामांकन निरस्त हो जाता है तो स्थानापन्न अभ्यर्थी को मुख्य अभ्यर्थी मानते हुये नामांकन पत्र की संवीक्षा की जायेगी। अतः रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप–ख में वर्णित मुख्य अभ्यर्थी के नामांकनों की संवीक्षा पहले करनी चाहिये।
36.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की कार्यवाही क्या स्थगित की जा सकती है?	संवीक्षा की कार्यवाही लगातार की जाती है लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी का नामांकन पत्र पर ऐसी आपत्ति रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होती है जिसका खण्डन/बचाव ;त्मइनजजंसद्ध का अवसर अभ्यर्थी को दिया जाना आवष्यक है तो रिटर्निंग अधिकारी संवीक्षा के दिन के अगले दिन या आवश्यकता होने पर इसके भी एक और दिन बाद प्रातः 11.00 बजे तक संवीक्षा को स्थगित कर सकता है किन्तु इसके बाद नहीं।
37.	रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामनिर्देशन पत्र को अस्वीकार किये जाने या स्वीकार किये जानें के निर्णय को किस स्तर पर बदला जा सकता है?	नामनिर्देशन पत्र को अस्वीकार या स्वीकार किये जानें का रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अन्तिम निर्णय है, जिसे चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई भी प्राधिकारी नहीं बदल सकता।
38.	प्रस्तावक क्या अभ्यर्थी की ओर से अभ्यर्थिता वापिस लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है?	अभ्यर्थिता वापिस लेने का प्ररूप–5 में नोटिस अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित होने पर स्वयं अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिषः अथवा इस प्रयोजन के लिये पृथक से अधिकृत किये जाने पर उसके किसी प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्त्ता के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
39.	अभ्यर्थिता वापिस लेने का नोटिस कब प्रस्तुत किया जा सकता है?	कोई भी विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले सकता है अर्थात् नामांकन

		वैध पाये जाने की स्थिति में संवीक्षा के तुरन्त पश्चात् अभ्यर्थिता वापिस लेने का नोटिस वह रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी को दे सकता हैं। यह नोटिस कार्यालय के सामान्य समय (10ण्00 ।ड जव 5ण्00 च्ड या अन्य जो कोई समय हो) के दौरान दिया जा सकता हैं, लेकिन यह नोटिस अभ्यर्थिता वापिस लेने के अन्तिम दिन अपरान्ह 3.00 बजे तक ही दिया जा सकता है।
40.	अभ्यर्थी के द्वारा चार नामांकन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें चुनाव चिन्ह के अलग–अलग विकल्प दिये गये है। कौन सा विकल्प माना जायेगा?	राष्ट्रीय एवं राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी के अलावा कोई अभ्यर्थी अपने प्रथम नामनिर्देशन पत्र में चुनाव चिन्ह का जो विकल्प देगा उसे ही माना जायेगा, भले ही वह नामनिर्दशन पत्र अस्वीकार हो गया हो।
41.	मुक्त चुनाव चिन्ह को दो निर्दलीय अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम वरीयता में चुना गया हैं, तो क्या चुनाव चिन्ह का आवंटन लॉट के द्वारा किया जायेगा?	दो निर्दलीय अभ्यर्थियों में यदि एक अभ्यर्थी विद्यमान विधायक है और उसनें पिछला चुनाव इसी चुनाव चिन्ह से लड़ा हो तो उसे यह चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जायेगा। अन्यथा स्थिति में लॉट के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जायेगा।
42.	कोई अभ्यर्थी मतपत्र में अपने नाम में संषोधन के लिये कब तक आवेदन कर सकता है?	नामनिर्देषन पत्र प्रस्तुत करनें के पश्चात् और प्ररूप 7–क में चुनाव लड़नें वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होने तक अभ्यर्थी अपने नाम में कोई संषोधन, के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है उसके बाद नहीं। त्व ऐसे आवेदन को समुचित आधार होने की सन्तुष्टि पर स्वीकार सकता है।
43.	प्ररूप 7–क में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थियों का वर्णमाला में क्रम बनाते समय क्या संक्षिप्त अक्षरों को भी ध्यान में रखा जायेगा?	संक्षिप्त अक्षरों को क्रम बनाते समय ध्यान में नहीं रखा जाता। अभ्यर्थी के नाम का प्रथम शब्द, चाहे वह नाम हो अथवा उपनाम हो, के प्रथम अक्षर से ही वर्णमाला क्रम में अभ्यर्थियो के नामों को व्यवस्थित किया जायेगा।
44.	यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 है तो छव्ज। का क्रम वोटिंग मषीन में कहाँ पर आयेगा?	छव्ज। सभी अभ्यर्थियों के नामों के पश्चात् क्रम के अन्त में आयेगा, अतः द्वितीय मषीन के प्रथम बटन पर छव्ज। विकल्प का क्रम आयेगा।
45.	नामांकन प्रक्रिया, नामांकनों की संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापिस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन से संबंधित कागजात रिटर्निंग अधिकारी कब तक अपने पास रखेगा?	ये कागजात रिटर्निंग अधिकारी चुनाव परिणाम घोषित होने तक अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेगा। वह इन कागजात को व्यवस्थित करते हुये एक लिफाफे में रखेगा। लिफाफे पर कागजात का ब्यौरा अंकित करेगा। इन्हें परिणाम घोषित होने के तुरन्त पश्चात् जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में जमा करवा देगा।
46.	एक राजनीतिक दल, जो इस राज्य में मान्यता प्राप्त नहीं हैं लेकिन दूसरे राज्य में मान्यता प्राप्त है, के अभ्यर्थी को उस	जो दल इस राज्य में मान्यता प्राप्त नहीं हैं लेकिन दूसरे राज्य में मान्यता प्राप्त है उसके अभ्यर्थी को विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची में

	दल का आरक्षित चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग की दी गयी छूट के आधार पर आवंटित हुआ है तो क्या उस अभ्यर्थी का नाम विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची में और चुनाव लड़नें वाले अभ्यर्थियों की सूची में प्रथम श्रेणी में आयेगा अथवा द्वितीय श्रेणी में आयेगा?	और चुनाव लड़नें वाले अभ्यर्थियों की सूची में द्वितीय श्रेणी में अर्थात् पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों की श्रेणी में शामिल किया जायेगा ना कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त और राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों की सूची में, भले ही उसके अभ्यर्थी को उस दल का आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया हो।
47.	छव्ज। के विकल्प को क्या चुनाव लड़नें वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप–7क) में भी शामिल किया जायेगा?	नहीं। प्ररूप–7क सूची में केवल चुनाव लड़नें वाले अभ्यर्थियों के नाम आयेगें। छव्ज। के विकल्प को मतपत्र में अभ्यर्थियों के नामो के पश्चात् अन्त में अंकित किया जायेगा।
48.	निविदत्त मतपत्र का कौन सा डिजाईन होगा?	बैलट यूनिट में लगाये जाने वाले मतपत्र जैसा मतपत्र ही निविदत्त मतपत्र के रूप उपयोग में लिया जायेगा और उसके पीछे ''निविदत्त मतपत्र'', स्टॉम्पित किया जायेगा अर्थात् उक्त अंकन की सील लगायी जायेगी और यदि किसी कारणवश सील उपलब्ध नहीं है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र के पीछे हस्त लिखित ''निविदत्त मतपत्र'' अंकित किया जायेगा।
49.	सेवानियोजित मतदाताओं के डाक मतपत्र के लिफाफों का रंग कौन सा होगा?	विधानसभा चुनावों में प्ररूप 13–ख का लिफाफा **गुलाबी** रंग में तथा लोकसभा चुनावों में यह लिफाफा **हरे** रंग में होगा। प्ररूप 13–ग का लिफाफा जो सेवानियोजित मतदाताओं को भेजा जायेगा वह लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव, दोनों में, **पीले** रंग का होगा।
50.	सेवानियोजित मतदाताओं से भिन्न अन्य श्रेणियों के मतदाताओं के डाक मतपत्र के लिफाफों का रंग कौन सा होगा?	विधानसभा चुनावों में प्ररूप 13–ख एवं 13–ग यानि दोनों लिफाफें **गुलाबी** रंग के होगें।
51.	डाक मतपत्र के लिफाफों में मतपत्र का क्रमांक अंकित करना क्या आवश्यक है?	प्ररूप 13–ख के लिफाफे में डाक मतपत्र रखा जायेगा, और इस लिफाफे पर मतपत्र का क्रमांक सही सही अंकित किया जायेगा क्योंकि मतपत्र क्रमांक इस लिफाफे पर नहीं पाये जाने पर या इस लिफाफे पर अंकित मतपत्र क्रमांक और निर्वाचक की घोषणा (प्ररूप 13–क) में अंकित मतपत्र के क्रमांक का मिलान नहीं होता है तो डाक मतपत्र प्रारम्भिक संवीक्षा के दौरान ही निरस्त कर दिया जायेगा। अतः प्ररूप 13–क एवं प्ररूप 13–ख पर मतपत्र का सही सही क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है। यह कार्यवाही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय द्वारा ही की जानी चाहिये ।
52.	जारी किये गये डाक मतपत्रों का अंकन निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में	किसी मतदाता को जारी डाक मतपत्र को दर्शानें के लिये निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में

	किस प्रकार किया जायेगा?	मतदाता के नाम वाले बाक्स पर लाल स्याही से च्ठ तथा निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जिसे जारी किया गया है उसे दर्शानें के लिये मतदाता के नाम की प्रविष्टि वाले बाक्स पर लाल स्याही से म्क्ब् अंकित किया जायेगा। डाक मतपत्र जारी करते समय डाक मतपत्र के प्रतिपर्ण (ब्वनदजमतविपस) में मतदाता का क्रमांक भी अंकित होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में मतपत्र क्रमांक निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में अंकित नहीं किया जायेगा।
53.	मतदान के बाद क्या डाक मतपत्र जारी किया जा सकता है?	नहीं।
54.	एक अभ्यर्थी चुनाव अभियान में कितने वाहनों का उपयोग कर सकता हैं?	चुनाव प्रचार के लिये अभ्यर्थी के वाहनों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है तथापि अभ्यर्थी चुनाव अभियान के लिये जो भी वाहन उपयोग में लायेगा उसकी पूर्वानुमति रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी और उसका निर्वाचन व्यय में खर्चा शामिल होगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी परमिट की मूल प्रति (फोटो प्रति नहीं) वाहन के विण्ड–स्क्रीन पर लगायी जायेगी जो सहज–दृष्य हो। वाहन का तात्पर्य दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन से है। इसमें रिक्षा,तांगा, साईकिल आदि भी शामिल है।
55.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार हेतु टेलीविजन में विज्ञापन देने हेतु क्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है?	नहीं। संबंधित ससंदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी जो उपखण्ड अधिकारी से कम स्तर का नहीं हो, की कमेटी के द्वारा अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार हेतु टेलीविजन में विज्ञापन का प्रमाणन जरुरी है।
56.	स्टार प्रचारक को निर्वाचन क्षेत्रों में यात्रा के लिये वाहन का परमिट किसके द्वारा जारी किया जायेगा?	स्टार प्रचारकों को राज्य में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सड़क मार्ग से भ्रमण के लिये वाहन का परमिट मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से जारी किया जायेगा।
57.	सहायक मतदान केन्द्र ;।नगपसपंतल च्वससपदह ैजंजपवदद्ध के लिये निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति किस प्रकार तैयार होगी?	सम्पूर्ण भाग की निर्वाचक नामावली की वर्किंग कॉपी एक साथ तैयार होगी। मुख्य मतदान केन्द्र में उपयोग में आने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में मुख्य मतदान केन्द्र के लिये आवंटित मतदाताओं के बाद के मतदाताओं, जो सहायक मतदान केन्द्र के लिये आवंटित हैं, के नामों को हाथ से स्याही से काट दिया जायेगा।इसी प्रकार सहायक मतदान केन्द्र में उपयोग में लायी जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में भी जो मतदाता मुख्य मतदान केन्द्र के लिये आवंटित है, के नामों को हाथ से स्याही से काट दिया जायेगा। यह व्यवस्था दोहरे

		मतदान एवं भ्रम की स्थिति को बचाने की दृष्टि से की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि निर्वाचक नामावली की वर्किंग कॉपी/ चिन्हित प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित अधिकारी, जिसे यह काम आवंटित किया गया है, अपने पूर्ण हस्ताक्षर करेगा। मुख्य मतदान केन्द्र एवं सहायक मतदान केन्द्र में उपयोग में लाये जाने वाली निर्वाचक नामावली की दोनों ही प्रतियों में च्ठ अथवा म्क्ब भी संबंधित प्रविष्टियों के सम्मुख अंकित होगें। विस्तृत निर्देष आयोग के पत्रांक 22/2/2008 दिनांक 02.04.2009 में दिये गये है।
58.	निःशक्त/विषिष्ट योग्यजन अथवा बहुत अधिक वृद्ध मतदाता के साथ उसका सहयोगी के रूप में कौन व्यक्ति मतदान केन्द्र में आ सकता है?	यदि पीठासीन अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि अन्धेपन या अन्य अंगशैथिल्य के कारण कोई निर्वाचक मतदान मशीन की बैलट यूनिट पर प्रतीक को पहचानने में या सहायता के बिना उसका समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित रहने में असमर्थ है, तो पीठासीन अधिकारी उस निर्वाचक को अपनी ओर से और अपनी इच्छानुसार मत अभिलिखित करने के लिए अपने साथ एक साथी जो अठारह वर्ष की आयु से कम का नहीं हो, को मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुमति देगा। परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचन के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी। उस साथी से पीठासीन अधिकारी की हैण्ड बुक,2014 के एनेक्सर 12 पर उपलब्ध प्ररूप में एक घोषणा भी ली जायेगी।
59.	मतदान केन्द्र में मतदान अभिकर्त्ताओं की संख्या अधिक होने पर उनके बैठनें की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी?	अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर मतदान अभिकर्ताओं की संख्या अधिक हो सकती है। स्थानाभाव के कारण मतदान अभिकर्ताओं की मतदान केन्द्र पर निम्न प्राथमिकताओं के आधार पर बैठने की व्यवस्था की जायेगी– 1. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता 2. मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता 3. अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय दलों के अभ्यर्थियों, जिन्हें अपने आरक्षित प्रतीकों को इस निर्वाचन में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गयी है, के मतदान अभिकर्ता 4. रजिस्ट्रीकृत गैरमान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता 5. निर्दलीय अभ्यर्थियों के अभिकर्ता
60.	मतदान अभिकर्त्ता ;च्वससपदह ।हमदजद्ध कौन हो सकता है?	मतदान अभिकर्त्ता का उसी मतदान केन्द्र अथवा उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ोस के मतदान केन्द्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक हैं।

		उसके पास फोटो मतदाता पहचान पत्र अथवा सरकार या सरकारी एजेन्सी द्वारा जारी मान्यता प्राप्त फोटो पहचान पत्र भी होना चाहिये जिसे वह मतदान केन्द्र में अपने शरीर पर स्पष्ट दिखाते हुये धारित करेगा।
61.	अभ्यर्थी के लिये निर्वाचन व्यय लेखों के संधारण में सहायतार्थ एक अतिरिक्त अभिकर्त्ता की नियुक्ति की जा सकती है। क्या यह अतिरिक्त अभिकर्त्ता मतदान केन्द्र के लिये पोलिंग एजेन्ट की नियुक्ति भी कर सकता है?	नहीं। मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में स्वयं अभ्यर्थी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता ही कर सकता है।
62.	प्रोक्सी से मतदान किस श्रेणी के मतदाता करा सकते है?	केवल सशस्त्र बलों तथा सेना अधिनियम,1950 जिन बलों पर लागू होता हैं, उनके सदस्यों के लिये ही यह सुविधा प्राप्त है कि वह डाक मतपत्र के जरिये मतदान करें अथवा प्रोक्सी के जरिये। सेवानियोजित मतदाताओं में भारत के बाहर कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एवं राज्य सशस्त्र बलों, जो कि राज्य से बाहर नियुक्त हैं, के सदस्यों को प्रोक्सी के जरिये मतदान की सुविधा नहीं है। सेवानियोजित मतदाताओं की पत्नियों को भी प्रोक्सी के जरिये मतदान की सुविधा नहीं है।
63.	प्रोक्सी किसे नियुक्त किया जा सकता ह?	प्रोक्सी के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिये तथा उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये। ऐसा व्यक्ति मतदाता होने के लिये अपात्र नहीं होना चाहिये। अपना प्राक्सी नियुक्त करनें के लिये वर्गीकृत सेवानियोजित मतदाता के द्वारा प्ररूप 13–एफ में रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा।

64.	कौन से व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्त्ता नहीं हो सकते?	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रीगण, सासंद, विधानसभा/परिषद के सदस्य, नगर निगम के मेयर या नगर परिषद/पालिका/जिला परिषद/ब्लॉक स्तर पंचायत समिति के अध्यक्ष या ऐसे व्यक्ति जिनको सरकार की तरफ से सुरक्षा मिली हुई है या राजकीय सेवारत कर्मचारी है, उनको निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्त्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता।
65.	मतदान दिवस को निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के लिए कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे?	निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के लिए फोटो मतदाता पहचान पत्र या आयोग द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। अनिवासी निर्वाचक को अपनी पहचान के लिए मूल पासपोर्ट दिखाना होगा।
66.	चिन्हित किये गये भयग्रस्त स्थानों (टनसदमतंइसम स्वबंजपवदे) से मतदान के दिन यदि मतदाता बहुत कम संख्या में आ रहे हैं तो क्या उपाय करना चाहिये?	पीठासीन अधिकारी के पास निर्वाचक नामावली की वर्किंग कॉपी के हाशिये में अंकित की गई रेखा से ऐसे स्थानों के मतदाताओं को इंगित किया जायेगा। मतदान के दौरान यदि ऐसे स्थान से मतदान हेतु आने वाले मतदाताओं की संख्या कम पायी जाती है तो ऐसे स्थानों पर तुरन्त पुलिस पैट्रोलिंग पार्टी/केन्दीय बलों के गश्ती दल को भेजना चाहिये और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मतदान करनें में किसी प्रकार की बाधा उत्पन नहीं की जा रही है या किसी के भयवश ऐसा नहीं हो रहा है। यदि ऐसा है तो तुरन्त समुचित व्यस्था की जायेगी ताकि भयग्रस्त स्थान के मतदाता मतदान कर सकें।
67.	क्या कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दल के नाम या प्रतीक या स्लोगन लिखे हुई टोपी/शॉल पहिन कर मतदान दिवस को मतदान केन्द्र पर आ सकता है?	नहीं, इनकी अनुमति नहीं है। सादा टोपी व शॉल पहिनने में कोई आपत्ति नहीं है। मतदान अभिकर्ता उस उम्मीदवार के नाम को दर्शित करने वाला बैज लगाकर रख सकेंगे, जिसका वह अभिकर्ता है। यह बैज पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।
68.	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के आधार पर मतदान करने वाले मतदाता की मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क) में प्रविष्टि किस प्रकार की जायेगी?	ऐसे मतदाता का क्रमांक, भाग संख्या एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम रजिस्टर प्ररूप 17क के मतदाता के क्रमांक के कॉलम में लिखा जायेगा। जैसे निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र धारक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गव्र के भाग संख्या 25 के क्रम संख्या 415 पर पंजीकृत है तो फार्म 17क के कॉलम 2 में 415/25/गव्र लिखा जायेगा एवं रिमार्क के कॉलम में ''ईडीसी मतदाता'' लिखा जायेगा।
69.	क्या मतदान केन्द्र में मोबाईल फोन ले जाया जा सकता है?	मतदान केन्द्र के भीतर पर्यवेक्षक, मतदानकर्मी व चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त अन्य अधिकारी मोबाईल फोन को ैपसमदज डवकम में रख सकते हैं परन्तु बूथ के भीतर वार्ता नहीं करेंगे। इनके अलावा अन्य व्यक्तियों के मतदान केन्द्र एवं इसके 100

		मीटर के दायरे में मोबाईल फोन ले जाने पर प्रतिबन्ध है।
70.	निर्वाचन क्षेत्र, जहां चुनाव हो रहे है, का कोई मतदाता उस निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कहीं कार्यरत है तो क्या उसे मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश मिलेगा?	हाँ।
71.	किसी दूसरे राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जो इस राज्य में मान्यता प्राप्त नहीं है, का अभ्यर्थी जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई छूट के आधार पर उसका आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित भी किया गया है, की मतदान से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो क्या मतदान स्थगित होगा?	नहीं। यदि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अथवा राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी की मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व मृत्यु होती है तो केवल इसी स्थिति में मतदान स्थगित होगा अन्य किसी भी दल के अभ्यर्थी या निर्दलीय अभ्यर्थी की मृत्यु होने पर नहीं।
72.	एक अभ्यर्थी को जिसे अन्य सभी अभ्यर्थियों से अधिक मत मिलें है लेकिन छव्ज। से कम मत मिलें है तो क्या उसे अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जायेगा या नहीं?	छव्ज। के पक्ष में डाले गये मतों का अभ्यर्थियों के चुनाव परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभ्यर्थियों में से जिस अभ्यर्थी को सर्वाधिक मत मिले है वह निर्वाचित घोषित होगा।
73.	परिणाम घोषित होने के बाद जमानत जब्त करनें के प्रयोजन से क्या छव्ज। विकल्प के पक्ष में डाले गये मत भी गणना में लिये जायेगें?	अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गये कुल वैध मतों के छठें हिस्सें से अधिक जिस अभ्यर्थी को मत प्राप्त हुये हैं उसकी जमानत जब्त नही की जायेंगी। इस प्रयोजन से केवल अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गये वैघ मतों को गणना में शामिल किया जायेगा और इसमें छव्ज। विकल्प के पक्ष में डाले गये मतों को गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।
74.	कौन से मतों की गणना पहले की जायेगी?	डाक मतपत्रों की गणना पहले प्रारम्भ की जायेगी और वोटिंग मशीन के मतों की गणना के आखिरी दो राउण्ड से पूर्व समाप्त की जायेगी।
75.	डाक मतपत्र वापिस रिटर्निंग अधिकारी को कब तक प्राप्त हो जानें चाहिये?	जो डाक मतपत्र मतगणना प्रारम्भ करनें के लिये नियत किये गये समय तक वापस रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होते हैं उन्हें ही मतगणना में शामिल किया जायेगा।
76.	मतगणना के समय सर्वाधिक मत प्राप्त करनें वाले दो अभ्यर्थियों के मतो का अन्तर यदि डालें गये निविदत्त मतपत्रों की संख्या से कम है तो क्या मतगणना में निविदत्त मतपत्रों की गणना की जायेगी?	निविदत्त मतपत्रों की गणना किसी भी परिस्थिति में रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा नहीं की जा सकती। रिटर्निंग अधिकारी इन सील बंद लिफाफों को सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं खोल सकता। चुनाव याचिका के विचारण के दौरान सक्षम न्यायालय ही निविदत्त मतपत्रों की गणना के संबंध में निर्णय कर सकता है।
77.	डाक मतपत्रों की गणना के प्रारम्भिक यानि प्रथम चरण में कौन कौन से लिफाफे/ प्ररूप की संवीक्षा की जायेगी?	सर्वप्रथम प्ररूप 13–ग के लिफाफे (जिसमें प्ररूप 13–क में निर्वाचक की घोषणा तथा प्ररूप 13–ख का छोटा लिफाफा रखा हुआ है) को एक के बाद एक खोला जायेगा। प्ररूप 13–ख के लिफाफे (जिसमें मतपत्र रखा हुआ है) को खोले बिना ही प्ररूप 13–क में निर्वाचक की घोषणा की संवीक्षा

		की जायेगी।
78.	डाक मतपत्रों की गणना के प्रथम चरण में किन आधारों पर डाक मतपत्र निरस्त किया जा सकता है?	निम्नांकित तीन स्थितियों में प्रथम चरण में डाक मतपत्र निरस्त किये जा सकते है :– ;पद्ध यदि प्ररूप 13–ग के लिफाफे में निर्वाचक की घोषणा (प्ररूप 13–क) नहीं पायी जाती है, अथवा ;पपद्ध यदि निर्वाचक की घोषणा (प्ररूप 13–क) उपलब्ध है लेकिन अहस्ताक्षरित है अथवा समुचित तरीके से प्रमाणित नहीं है या अन्यथा सारभूत रूप से त्रुटिपूर्ण हैं, अथवा ;पपपद्ध यदि निर्वाचक की घोषणा (प्ररूप 13–क) में अंकित मतपत्र का क्रमांक प्ररूप 13–ख के लिफाफे पर अंकित मतपत्र क्रमांक से भिन्न है अथवा अंकित ही नहीं है।
79.	निर्वाचक की घोषणा (प्ररूप 13–क) पर प्रमाणन अधिकारी नें अपना नाम, पदनाम आदि पूरा विवरण देते हुये हस्ताक्षर किये है किन्तु अपने पदनाम की सील नहीं लगायी है तो क्या प्रथम चरण की संवीक्षा में डाक मतपत्र निरस्त होगा?	नहीं। यदि निर्वाचक की घोषणा (प्ररूप 13–क) में निर्वाचक के हस्ताक्षरों को प्रमाणित करने वाले प्रमाणन अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर करते हुये अपना नाम ओर पदनाम, जिससे कि वह पहचाना जा सकता है, अंकित किया है तो डाक मतपत्र को केवल इस कारण निरस्त नहीं किया जायेगा कि प्रमाणन अधिकारी नें अपनी सील नहीं लगायी है।
80.	डाक मतपत्र लिफाफा (प्ररूप 13–ग) पर निर्वाचक नें अपने हस्ताक्षर नहीं किये हैं, हाँलाकि निर्वाचक की घोषणा (प्ररूप 13–क) के आधार पर निर्वाचक की पहचान स्पष्ट होती है, तो क्या डाक मतपत्र को निरस्त किया जायेगा?	यदि निर्वाचक की घोषणा (प्ररूप 13–क) के आधार पर निर्वाचक की पहचान स्पष्ट हो जाती है, तो डाक मतपत्र को केवल इस आधार पर निरस्त नही किया जायेगा कि डाक मतपत्र लिफाफें (प्ररूप 13–ग) पर निर्वाचक नें अपने हस्ताक्षर नहीं किये है।
81.	भारत निर्वाचन आयोग की सीक्रेट सील क्या नामांकन प्रक्रिया से संबंधित कागज पत्रों पर भी लगायी जा सकती है?	नहीं। भारत निर्वाचन आयोग की सीक्रेट सील चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद केवल नियम 93(1) में वर्णित निर्वाचन कागजात के पैकेटो एवं नियंत्रण यूनिटों पर लगायी जायेगी। यह सील स्टील ट्रंकों के तालों पर नहीं लगायी जा सकती।
82.	क्या पार्षद, सरपंच, वार्ड मेम्बर एवं दूसरे स्थानीय संस्था के अध्यक्ष/मुखिया मतगणना अभिकर्त्ता हो सकते है?	इनके मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है बशर्ते इनको सरकार से सुरक्षा नहीं मिली हो।
83.	ईवीएम पर पुर्नगणना या टटच।ज की पर्चियों की गणना किसी विशिष्ट राउण्ड के बाद की जा सकती है या समस्त राउण्ड के मतो की गणना के उपरान्त की जायेगी ?	सभी राउण्ड के मतों की गणना के उपरान्त ही की जायेगी।
84.	क्या किसी अनिवासी भारतीय को गणन अभिकर्त्ता नियुक्ति किया जा सकता है?	अनिवासी भारतीय को गणन अभिकर्त्ता नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है।
85.	प्ररूप 17 ग के प्रथम भाग में अंकित कुल मतों एवं गणना के समय ई.वी.एम. पर प्रदर्शित कुल मतों में अन्तर होने पर	यदि रिटर्निंग अधिकारी एवं पर्यवेक्षक सन्तुष्ट हैं कि यह अन्तर लिपिकीय त्रुटि है और दूसरे रिकॉर्ड जैसे पीठासीन अधिकारी की डायरी की

	क्या कार्यवाही की जानी है?	प्रविष्टियों, मॉकपोल सर्टिफिकेट आदि से मतों का मिलान होता हो तो ईवीएम की मतगणना जारी रखी जाये, परन्तु इसके बारें में अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/ गणन अभिकर्त्ताओं को समझायश भी की जावे। यदि रिटर्निंग अधिकारी एवं पर्यवेक्षक इस अन्तर के बारें में सन्तुष्ट नहीं है तो उस मशीन के मतों की गणना नहीं की जायेगी एवं आयोग को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।
86.	क्या किसी अभ्यर्थी को मतगणना कक्ष में सुरक्षाकर्मी(हथियार रहित/सहित) के साथ जाने की अनुमति दी जा सकती है?	किसी अभ्यर्थी को सुरक्षाकर्मी के साथ मतगणना कक्ष में जाने की अनुमति नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थी को गणना कक्ष में इस शर्त पर जाने की अनुमति दी जा सकती है कि सुरक्षाकर्मी हॉल में नहीं जायेंगें। ऐसे अभ्यर्थी को एक अण्डर टेकिंग देनी होगी कि वह गणना कक्ष में बैठने के लिए स्वेच्छा से अपनी सुरक्षा छोड़ रहा है। यदि अभ्यर्थी को एस.पी.जी. सुरक्षा मिली हुई है तो अभ्यर्थी को सादा वर्दी में एक सुरक्षा कर्मी के साथ गणनाकक्ष में जाने की अनुमति दी जायेगी तथा यह ध्यान रखा जाए कि सुरक्षाकर्मी के पास हथियार दिखाई न दें।
87.	क्या गणना अभिकर्त्ता के लिए कोई योग्यता निर्धारित है ?	कानून में गणना अभिकर्त्ता के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है फिर भी उम्मीद्वरों को यह राय दी जा सकती है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को गणन अभिकर्त्ता नियुक्त करें जिससे वह उनके हितों को अच्छी तरह देख सकें।
88.	यदि जीत का मार्जिन कुल प्राप्त डाक मतपत्रों से कम होता है तो सभी डाकमतों के पुर्नसत्यापन में क्या देखा जाना है ?	पर्यवेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में सभी निरस्त किये गये डाक मतपत्र एवं प्रत्येक उम्मीद्वार के पक्ष में गिने गये मतो का सत्यापन एवं मिलान किया जायेगा। पर्यवेक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे सत्यापन के परिणाम को अभिलिखित किया जायेगा एवं परिणाम को अन्तिम रूप देने से पहिले स्वयं को सन्तुष्ट करेंगें।
89.	निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचन का प्रमाण पत्र लेने के लिये क्या स्वयं अभ्यर्थी का आना आवश्यक है?	रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण पत्र जारी कर पावती स्वरूप उसके स्वयं के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और उन्हें प्रमाणित करते हुये विधानसभा चुनाव की स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित करेगा।
90.	चुनाव अभियान के दौरान कितने वाहन कनवॉय ;ब्वदअवलद्ध में चल सकते है?	अधिकतम दस वाहन कनवॉय ;ब्वदअवलद्ध में चल सकते है, लेकिन इस संख्या में सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की सुरक्षा में लगे हुये वाहन शामिल नहीं है।
91.	निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त कौन कौन से व्यक्ति डाक मतपत्र या निर्वाचन–ड्यूटी प्रमाणपत्र के लिए पात्र	निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त वे सभी व्यक्ति जो उस मतदान केन्द्र पर, जहॉ वे मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं तथा अपना वोट डालने में चुनाव

	हैं ?	ड्यूटी के कारण असमर्थ हैं, वे या तो डाक मतपत्र या फिर निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र की सुविधा के लिए पात्र हैं। यदि वे उसी निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर लगाये जाते हैं, जहॉ वे एक मतदाता के रूप में पंजीकृत भी है तो वे निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पात्र हैं। यदि वे उस निर्वाचन क्षेत्र, जहॉ वे मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं, से भिन्न अन्य निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन ड्यूटी पर हैं तो वे डाक मतपत्र के लिए हकदार हैं।
92.	क्या प्ररूप 26 में शपथपत्र में विभिन्न वितीय संस्थाओं में जमा राशि का विवरण देते समय बैक या पोस्ट ऑफिस आदि के खाता संख्या भी देना आवश्यक है ?	खाता संख्या का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।
93.	क्या किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने अभ्यर्थी की सूचना के लिए प्ररूप 'ख' को फैक्स या ई–मेल द्वारा प्रेषित किया जा सकता है? क्या इसकी फोटो कॉपी रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है ?	अधिकृत पदाधिकारी द्वारा स्याही में ही हस्ताक्षरित मूल प्ररूप 'ख' रिटर्निंग अधिकारी को नामनिर्देशन की अंतिम तिथि को अपरान्ह् 3.00 बजे तक प्रस्तुत प्राप्त हो जाना चाहिए। फैक्स या ई–मेल से प्राप्त प्ररूप की प्रति स्वीकार नहीं की जा सकती।
94.	फोटोयुक्त मतदाता पर्ची (चैवजव टवजमत ैसपचे) के निर्वाचकों को वितरण से पूर्व किसके द्वारा इनको अध्रिमाणित किया जाना है ?	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक पंजीकृत निर्वाचक को फोटोयुक्त मतदाता पर्च्ची का वितरण करने से पूर्व अधिप्रमाणन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाना है। ये पर्चिया बूथ लेवल अधिकारी द्वारा अपने मूल हस्ताक्षरों से निर्वाचकों को जारी की जायेंगी।
95.	क्या अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक, किसी उम्मीद्वार का प्रस्तावक हो सकता है ?	नहीं। प्रस्तावक उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, जिससे अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहा है।
96.	क्या सहायक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के सारें कृत्यों का निर्वहन कर सकता है ?	सहायक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, रिटर्निंग अधिकारी के सभी कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम है, परन्तु नामनिर्देशनों की संवीक्षा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ही की जायेगी जब तक कि अपरिहार्य परिस्थितिवश वह ऐसा करने में असमर्थ हो। ऐसी स्थिति में अपरिहार्य कारणों को अभिलिखित करते हुए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में संवीक्षा के लिए अधिकृत किया जावे।
97.	अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति कब की जा सकती है ?	नामांकन दाखिल करने के उपरान्त किसी भी स्टेज पर निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है।
98.	निर्वाचन व्यय के लिये पृथक बैंक खाते के रूप में अभ्यर्थी पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोलता है तो क्या उसे निर्वाचन	अभ्यर्थी स्वयं अपने अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता के साथ संयुक्त नाम से पृथक बैंक खाते का निर्वाचन व्यय के लेखों के संधारण के

	व्यय के प्रयोजन से उपयोग में लिया जा सकता है?	लिये उपयोग कर सकता है। यदि अभ्यर्थी की पत्नी उसकी निर्वाचन अभिकर्त्ता है तो ही अभ्यर्थी अपनी पत्नी के साथ संयुक्त नाम से खोले गये पृथक बैंक खाते का उपयोग निर्वाचन व्यय लेखों के प्रयोजन से कर सकता है।
99.	अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाता है। क्या अभ्यर्थी द्वारा इन्हें हस्ताक्षर करने मात्र से स्वीकार किया जा सकता है?	शपथ या प्रतिज्ञान अभ्यर्थी के द्वारा बोलकर लिया जाना भी आवश्यक है और उस पर हस्ताक्षर करना भी आवश्यक है। शपथ/प्रतिज्ञान दिलाने वाले अधिकारी को अपने प्रमाण पत्र में उक्त पूर्ति हो जाने के आशय का प्रमाण पत्र देना होगा।
100.	समान नाम के एक से अधिक अभ्यर्थी है तो उनका वर्णक्रम किस आधार पर निर्धारित किया जायेगा?	ऐसे सभी अभ्यर्थियों के नाम के आगे पिता/पति का नाम अथवा निवास अथवा व्यवसाय, जैसा रिटर्निंग अधिकारी उचित समझे, जोड़कर और वर्णक्रम में इनको शामिल करते हुये क्रम निर्धारित करेगा। उक्त जोड़ा गया अंकन अर्थात् पिता/पति का नाम अथवा निवास अथवा व्यवसाय, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में भी अंकित किया जायेगा और मतपत्र में अंकित किया जायेगा।